न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/एफ०टी०सी०–प्रथम, सिद्धार्थनगर।

UPSD040138542022

Criminal Misc. Cases/1525/2022

रिंकी पाठक——बनाम––––रंगनाथ आदि।

धारा–12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम,

थाना–पथरा बाजार जनपद–सिद्धार्थनगर।

दिनांक–29.04.2026

पत्रावली पेश हुई। बार–बार पुकार कराई गई। आवेदिका अनुपस्थित। पत्रावली लन्च बाद पुनः पेश हो।

(श्रेय कुमार वर्मा)
सिविल जज (जू०डि०)/
एफ०टी०सी०–प्रथम, सिद्धार्थनगर।
J.O. I.D. No.–UP4788

दिनांक–29.04.2026 (लन्च बाद)

पत्रावली लंच बाद पुनः पेश हुई। बार–बार पुकार कराई गई। आवेदिका अनुपस्थित। आवेदिका विगत कई तिथियों से निरन्तर अनुपस्थित है। आवेदिका को पूर्व में कई तिथियों पर उपस्थिति हेतु और उसके द्वारा दाखिल प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पर बल देने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया गया था किन्तु आवेदिका न तो न्यायालय उपस्थित आयी और न ही उसके द्वारा कोई मौका आवेदन प्रस्तुत किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदिका अब उक्त परिवाद में रुचि नहीं ले रही है। ऐसी दशा में पत्रावली आवेदिका की अनुपस्थिति में खारिज किये जाने योग्य प्रतीत हो रही है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम आवेदिका की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(श्रेय कुमार वर्मा)
सिविल जज (जू०डि०)/
एफ०टी०सी०–प्रथम, सिद्धार्थनगर।
J.O. I.D. No.–UP4788

Digitally signed by SHREY KUMAR VERMA
Date: 2026.04.29 15:05:01 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court